

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13778/2025

Vijay S/o Shrichand, Aged About 38 Years, R/o Gothda Bhukran,
Police Station Dadiya, District Sikar, At Present Quarter No. 55,
Nehru Park, Shastri Nagar, Sikar, Police Station Kotwali, Sikar.
(At Present Accused Petitioner Is Confined In District Jail Sikar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. T.L. Pandey
For Respondent(s) : Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**10.10.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसे पुलिस थाना **नेछवा, जिला सीकर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **62/2021** अपराध अन्तर्गत धारा **8/20, 25, 29 एन.डी.पी.एस.** में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, वह अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए उसके जमानत मुचलके जब्त किये गये। प्रार्थी की अनुपस्थिति सद्भावी है, वह दिनांक 05.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जावे ।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया ।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **विजय पुत्र श्रीचन्द** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J